FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** उदयपुर **P.S. (थाना):** गोवर्धनविलास **Year (वर्ष):** 2021

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0081 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 10/03/2021 01:16 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भा दं सं 1860	420
2	भा दं सं 1860	406

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

 1. **Day(दिन):** **Date From (दिनांक से):** **Date To (दिनांक तक):**

 Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** **Time To (समय तक):**

 (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 10/03/2021 **Time (समय):** 01:16 बजे

 (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 007 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 10/03/2021 01:16:00 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

 1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** **Beat No. (बीट सं.) :**

 (b) **Address(पता):** BALICHA NH 8, UDAIPUR

 (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

 Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** HARI PRASAD MATHUR

(b) **Father's/Mother's/Husband's Name (पिता / माता / पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1976 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** भारत

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	MB ROAD ANDHERI MUMBAI, MUMBAI, नेरुल, नवी मुंबई, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पता	MB ROAD ANDHERI MUMBAI, MUMBAI, नेरुल, नवी मुंबई, महाराष्ट्र, भारत

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** 91-9602199295

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या): 2

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवा में
श्रीमान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्टेट
क्रम संख्या 03 उदयपुर राज.

मैं सुप्रीम ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट लिमिटेड जरिए अधिकृत प्रतिनिधि हरी प्रसाद माथुर पता 5-बी-34,अक्षय मित्तल इंडस्ट्रियल एस्टेट एम.बी. रोड अंधेरी ईस्ट नियर मेट्रो स्टेशन मुंबई महाराष्ट्र
बनाम
सीके मोटर्स जरिये प्रबंधक पता-पटेल फिलिंग स्टेशन के पास नेशनल हाईवे नंबर 8 अहमदाबाद रोड उदयपुर राजस्थान
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) जा.फौ.
अपराध अन्तर्गत धारा 420,406 भादस
उक्त अनवान प्रकरण में मुझ प्रार्थी का निवेदन है की
1. यह कि प्रार्थी फर्म में सुप्रीम ट्रांसपोर्ट आर्गेनाइजेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दिनांक 9/02/2021 को एक लेटर ऑफ अथॉरिटी हरिप्रसाद माथुर के पक्ष में निष्पादित किया कि वह फार्म की समस्त विधिक कार्यवाही करने हेतु अधिकृत है इसी अधिकारी पत्र के जरिए उक्त परिवाद हरी प्रसाद माथुर के द्वारा अपने हस्ताक्षर कर पेश किया जा रहा है ।
1. यह कि प्रार्थी फर्म मैं सुप्रीम ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट लिमिटेड जो की कंपनी अधिनियम 1956 के तहत रजिस्टर्ड है एवं इसी नाम एवं शैली से व्यापार करती है । प्रार्थी फर्म एवं राजस्थान सरकार के मध्य 06.09.2016 को अन्तर्राज्यीय वायु परिवहन के संबंध में एक अनुबंध हुआ था। उस अनुबंध के तहत दिनांक 4/10/2016 से प्रार्थी फर्म द्वारा सुप्रीम एयरलाई के नाम से राजस्थान राज्य में घरेलू (डॉमेस्टिक) उड़ानो का संचालन की अनुमति प्रदान की गई थी तथा प्रार्थी फर्म राजस्थान राज्य में अपना व्यापार कर रही है ।
2. यह कि प्रार्थी फर्म द्वारा यात्रियों की सुविधा एवं उनके गंतव्य तक लाने ले जाने हेतु एक वाहन टाटा विंगर खरीदा गया, जिसका रजिस्ट्रेशन संख्या आरजे 14 टीडी 8000 चेचिस नंबर MAT460051GUF03031 इंजन नंबर 483DLTC55FTYJ09308 जिसके पंजीकृत स्वामी प्रार्थी फर्म में सुप्रीम ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट लिमिटेड है ।
3. यह कि उक्त वाहन पर प्रार्थी फर्म द्वारा एचडीएफसी बैंक लिमिटेड से दिनांक 13.10.2016 को 11,34,580/-अक्षरे ग्यारह लाख चौतीस हजार पांच सौ अस्सी रुपये का फाइनेंस कराया गया था । तत्पश्चात से प्रार्थी फर्म द्वारा लगातार किस्तों की अदायगी की जा रही थी एवं अकाउंट स्टैंडिंग अकाउंट करीब 7,48,340/- अक्षरे सात लाख अडतालिस हजार तीन सौ चालीस रुपये बकाया थे ।
4. यह की कलम संख्या दो में वर्णित वाहन यात्रियों को लेकर दिनांक 13.02.2017 को अपने गंतव्य को जा रहा था तब उक्त वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया । उक्त वाहन पर रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से बीमा अनुबंध था । तत्पश्यात प्रार्थी फर्म के स्टाफ द्वारा इंश्योरेंस कंपनी से संपर्क किया तो इंश्योरेंस कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रार्थी फर्म स्टाफ को कहा कि आप वाहन को सी.के. मोटर्स पर ले जाइये तथा हम वैल्यूवर को वहां भेजकर दुर्घटनाग्रस्त वाहन का सर्वे करा देंगे एवं जो भी दुर्घटनाग्रस्त वाहन को दुरुस्त करा देंगे ।
5. यह कि प्रार्थी फर्म के स्टाफ द्वारा इंश्योरेंस कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधियों के कहे अनुसार दुर्घटनाग्रस्त वाहन को सी.के. मोटर्स पर लेकर गए तथा वहां सी.के. मोटर्स के अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रार्थी फर्म के स्टाफ जो दुर्घटनाग्रस्त वाहन को लेकर गया था को उनसे कहा गया कि आप उक्त वाहन को हमारी फर्म के यार्ड में छोड़ दीजिए सर्वे होने एवं इंश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधित के आने के पश्चात आपके वाहन का दुरुस्त कर दिया जाएगा । काफी समय व्यतीत हो जाने के पश्चात भी उकत वाहन को दुरुस्त नहीं किया गया । तत्पश्चात प्रार्थी फर्म द्वारा एक विधिक सूचना पत्र रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी को भेजा गया । नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी उक्त वाहन को दुरुस्त नहीं किया गया था ।
6. यह कि प्रार्थी फर्म को उक्त वाहन की आवश्यकता होने से उसे लेने हेतु प्रार्थी फर्म के प्रतिनिधि को सी.के. मोटर्स के कार्यालय पर भेजा गया जिससे कि वह वाला सके, किंतु सी.के. मोटर्स के अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रार्थी फर्म के स्वामित्व

एवं आधिपत्य के वाहन को उन्हें देने से इनकार कर दिया। उक्त वाहन प्रार्थी फर्म के नाम उसे रजिस्टर्ड है। इस कारण से प्रार्थी फर्म के प्रतिनिधि द्वारा सी.के. मोटर्स के अधिकारी से चाबियाें की मांग की जिस पर चाबी एवं वाहन दोनों ही सुपुत्र करने से मना कर दिया गया। प्रार्थी फर्म द्वारा सीके मोटर्स के अधिकारियों को कई बार मौखिक का आग्रह किया गया व दूर भाषा पर भी संपर्क किया गया किंतु सी.के. मोटर्स के अधिकारियों व कर्मचारियों ने किसी प्रकार का कोई प्रतिउत्तर नहीं दिया और ना ही वाहन को प्रार्थी फर्म को सुपुर्द किया गया।
7. यह कि सी.के. मोटर्स के अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा काफी समय उक्त को प्रार्थी फर्म को नहीं लौटाये जाने से प्रार्थी फर्म को एक नया वाहन खरीदना पड़ा जिससे कि उसे आर्थिक हानि हुई एवं यात्रियों को लाने ले जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा जिससे प्रार्थी फर्म की साख को भी हानि पहुंची है।
8. यह कि दिनांक 05.12.2020 को प्रार्थी फर्म के प्रतिनिधी पुनः अपना वाहन लेने के लिए सी.के. मोटर्स पर गए तो सी.के. मोटर्स के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा प्रार्थी फर्म के प्रतिनिधि को किसी प्रकार का संतोषपूर्ण जवाब नहीं दिया गया एवं सी.के. मोटर्स के किसी कर्मचारी से प्रार्थी फार्म के प्रतिनिधि तो ज्ञात को हुआ कि प्रार्थी फर्म के ऊक्त वाहन को सी.के. मोटर्स के कर्मचारियों द्वारा अनाधिकृत रूप से षड्यंत्र रखते हुए अन्य किसी व्यक्ति को बेच दिया गया। जबकि उक्त वाहन को बेचने का सी.के. मोटर्स को किसी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। किंतु अभियुक्त फर्म द्वारा प्रार्थी फर्म के उक्त वाहन को षडयंत्रपूर्वक खुर्द बुर्द दिया गया है जो कि आपराधिक न्याय भंग एवं छल किस श्रेणी में आता है। सी.के. मोटर्स के अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रार्थी फर्म के उक्त वाहन को बिना किसी सहमति के विक्रय कर दिया गया जबकि उसे इस तरह का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था कि वह अपने यहां रिपेयर कराने आए वहां को विक्रय कर सके।
9. यह कि प्रार्थी द्वारा उक्त कृत्य की शिकायत पुलिस अधीक्षक महोदय उदयपुर राजस्थान के समक्ष जरिए रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 07.01.2021 को परिवाद प्रस्तुत किया गया था उसके पश्चात भी पुलिस द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई एवं तत्पश्चात प्रार्थी फर्म द्वारा सूचना का अधिकार के तहत आवेदन कर लोक सूचना अधिकारी जिला जिला पुलिस अधीक्षक राजस्थान से मेरे परिवार पर क्या कार्रवाई की गई उसकी समस्त जानकारी मांगी गई लेकिन उसका भी कोई जवाब पुलिस अधीक्षक उदयपुर राजस्थान के कार्यालय द्वारा नहीं दिया गया और पुलिस किसी तरह की कोई कार्यवाही अभियुक्त फार्म के विरुद्ध नहीं कर रही है। इसलिए श्रीमान न्यायालय के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।
9. यह कि प्रार्थी फर्म ने अपना वाहन अभियुक्त फर्म के उपरोक्त पते पटेल फिलिंग स्टेशन के पास, नेशनल हाईवे नंबर 8 अहमदाबाद रोड उदयपुर पर रिपेयर हेतु दिया गया जो कि पुलिस थाना गोवर्धन विलास उदयपुर राजस्थान के क्षेत्र में आता है इस कारण को प्रार्थना पत्र की सुनवाई की आवश्यकता आप श्रीमान न्यायालय को प्राप्त है।
10 यह कि परिवाद निश्चित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है।

अतः श्रीमान न्यायालय से निवेदन है कि उपरोक्त वर्णित अभियुक्ता के विरुद्ध प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज कर कठोर कानूनी कार्रवाई करने के आदेश संबंधित थाना अधिकारी गोवर्धन विलास उदयपुर राजस्थान को दिया जावे एवं जांच नतीजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दिया जावे। अतः उक्त ईस्तागासा स्वीकार फरमाया जाकर अंतर्गत धारा 156 (3) के तहत् पुलिस थाना गोवर्धन विलास में दर्ज कर अनुसधान हेतु आदेश प्रदान करावे। एसडी
कार्यवाही पुलिस थाना गोवर्धनविलास उदयपुर
दिनांक 10.03.2021 समय 01.16 एएम
1. यह टाईपशुदा रिपोर्ट धारा 156(3) जा.फौ. के तहत जरिये डाक न्यायालय श्रीमान एसीजेएम नम्बर 03 से प्रार्थी मैं सुप्रीम ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट लिमिटेड जरिए अधिकृत प्रतिनिधि हरी प्रसाद माथुर द्धारा पेश की गई
2. मजमुन इस्तागासा से मामला अपराध धारा 420-406 भादस के वकूवे मे आना पाया जाने से प्रकरण संख्या 81/2021 धारा उपरोक्त मे दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किशार सिंह सउनि के जिम्मे किया गया।
3. एफआईआर की प्रतिया नियमानुसार जारी की गई
एसडी

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Kisor Singh **Rank (पद):** सहायकउप - निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature/

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Bheru Singh

Rank (पद): Asst. SI (Assistant Sub-Inspector)

No(सं.):